सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 80 राँची, मंगलवार, 29 जनवरी, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय आदेश

15 जनवरी, 2019

अधिसूचना संख्या-02/न०वि०/विविध/का०आ०/14/2018-05, ज्ञापांक-184,-- विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य एवं केन्द्र सम्पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निकाय स्तर से बड़ी योजनाओं का DPR तैयार कराकर प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति का अनुरोध विभाग से किया जाता है। विभागीय स्तर पर समीक्षा में प्रेषित DPR में कई त्रुटियाँ पायी जाती हैं। DPR त्रुटिपूर्ण होने या अन्य कारणों से योजना की प्रशासनिक स्वीकृति न होने पर भी DPR तैयार करने वाले परामर्शी को परामर्शी शुल्क के रूप में बड़ी राशि का भुगतान निकाय द्वारा कर दिया जाता है, जिससे सरकारी धन का दुरूपयोग होता है।

2. कई योजनाएँ-विशेषकर केन्द्रीय योजनाओं में स्वीकृति के लिये मापदण्ड निर्धारित होते हैं जिसका अनुपालन अनिवार्य होता है। तद्नुसार योजनाओं के चयन के उपरांत ही DPR तैयार कराना होता है।

3. अतएव अनावश्यक रूप से सरकारी धन के दुरूपयोग को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यालय आदेश निर्गत किया जाता है:-

(i) राँची, धनबाद एवं देवघर नगर निगम को छोड़कर शेष अन्य नगर निकायों में राज्य योजना एवं 14वें वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली 5.00 करोड़ रू० तक की योजना का प्राक्कलन बिना विभागीय सहमति के तैयार कराया जा सकता है। परामर्शी शुल्क का भुगतान निकाय अपने स्तर से करेंगे।

(ii) राँची, धनबाद एवं देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त 10.00 करोड़ रू० तक की योजनाओं का DPR तैयार करवाने के लिए सक्षम होंगे। परामर्शी शुल्क का भुगतान निकाय अपने स्तर से करेंगे।

(iii) उपर्युक्त कंडिका (i) एवं (ii) में वर्णित राशि से अधिक राशि का DPR तैयार करवाने के लिए संबंधित नगर निकाय के द्वारा विभाग से सर्वप्रथम सहमति प्राप्त करनी होगी, उसके उपरान्त ही परामर्शी के माध्यम से DPR तैयार कराया जा सकेगा। परामर्शी शुल्क की राशि विभाग के द्वारा आवंटित की जायेगी।

4. उपर्युक्त आदेश राज्य योजना तथा वित्त आयोग की राशि से संपोषित योजनाओं पर लागू होगा।

5. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव एवं माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार रतन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 80 -- 50